



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 19 September, 2023

PGCIL/R/E/23/00307

ASHOK KUMAR,  
220/132 K V SUBSTATION CHANDK PITHORAGARH  
PITHORAGARH-262501 Uttarakhand

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 28 August, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में क्र० स० 6 से सम्बंधित वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है । क्र० स० 1-5 से सम्बंधित वांछित जानकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, उत्तरी क्षेत्र-III, पावरग्रिड द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी ।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (केन्द्रीय आयोजना एवं एम. एम.) एवं अपील प्राधिकारी

केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।

ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in

फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,  
J. Jaganath (110)  
19/09/23

(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केन्द्रीय आयोजना) एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cplo.cc@powergrid.co.in

Q. No. 06	<p>उक्त के संबंध में Internal Vigilance Department द्वारा जारी उस ऑर्डर की प्रतिलिपि संलग्न करें जिसे मुझे DPC में प्रमोट न करने का आदेश कि या गया हो ? और S-1 से SG ग्रेड में प्रमोट करने प कोई एतराज न जताया गया हो ?</p>	<p>किसी भी पर्यवेक्षक (S4) की कार्यपालक (E2) श्रेणी में पदोन्नति विभिन्न कारकों पर निर्भर है जैसे की AAR rating, Grade Seniority, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रदर्शन एवं अन्य कारकों पर निर्भर करता है जिनमें से सतर्कता स्पष्टीकरण भी एक है। उपयुक्त नियमावली के तहत RTI आवेदक के संबंध में (S4 to E2 promotion) में भी सतर्कता स्पष्टीकरण लिया गया था जो अधोलिखित है:-</p> <p><i>"As per the records available in the region No Vigilance Case is pending/contemplated against Shri Ashok Kumar, 60011233. As per the records in VOMS, Minor penalty for " Recovery from Pay " was imposed by ED(NR-III) on 10.12.2020. Recovery of Rs 1,70,600 (against minor penalty imposed) is complete and there is no Currency of Punishment. APR Filed. Recommended for forwarding of Vigilance Status for Promotion."</i></p> <p>किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति करने या न करने के लिए केंद्रीय सतर्कता वि भाग का कोई आदेश नहीं होता।</p>
-----------	---	--

\*Q.No. 1-5 will be provided by CPIO NR-III

वि.प्र.स.स.  
19/09/2023